प्रेस विज्ञप्ति

(सूचना एवं जन–सम्पर्क कार्यालय,कैमूर)

संख्या :– 123

दिनांक :– 09.08.2012 **अब राज्य के बाहर रहने वाले बिहारी प्राप्त कर सकेंगे लोक सेवाओं का अधिकार**

कैमूर(भभुआ) 09 अगस्त 2012 :– आज कैमूर समाहरणालय स्थित विडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहर सरकार, के प्रधान सचिव दीपक कुमार तथा बिहार राज्य अपर मिशन निर्देशक, बिहार सरकार डा0 बी0 राजेन्द्र ने विडियो कान्फ्रेंसिंग के जरीए आर0टी0पी0एस0 की समीक्षा किया एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। प्रधान सचिव ने बताया कि 15 अगस्त 2012 से लोक सेवाओं के अधिकार के अन्तर्गत दो और सेवाओं कन्या विवाह योजना तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को जोड़ा जा रहा है। ये योजनाएं 15 अगस्त 2012 से लोक सेवाओं के अधिकार के अन्तर्गत शामिल होंगी। कन्या विवाह योजना की सेवा अवधी उक्त मद में आवंटन प्राप्त होने के 15 दिनो के अन्दर तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की सेवाओं की अधिकतम अवधी 30 दिनों की होगी।

अब राज्य के बाहर रहने वाले बिहारियों को लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए गांव नहीं आना पड़ेगा। नई दिल्ली स्थित बिहार भवन के स्थानीय आयुक्त के कार्यालय में आगामी 15 अगस्त से यह सेवा शुरू हो जायेगी। आर0टी0पी0एस0 के तहत आने वाले सभी प्रमाण पत्र भी स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली के द्वारा उपलब्ध हो सकेगा। पहले से बने हुए प्रमाण पत्र के खो जाने से अब चिन्ता की कोई बात नहीं है। अब आप ऑन लाइन डुप्लीकेट प्रमाण पत्र तीन दिनों के अन्दर प्राप्त कर सकते हैं।

जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकतम सीमा 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया है। वहीं दाखिल–खारिज वाद में समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है।

विडियो कान्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी जय सिंह, अपर समाहर्ता अब्दुल मन्नान, ओ.एस.डी. अभय सिंह, डी.आई.ओ. राजीव कुमार सिन्हा, आई.टी मैनेजर अमित कुमार ने भाग लिया।